कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

(वन भवन, सोनारी, जमशेदपुर–831011)
दूरभाष संख्या एवं फैक्स – 0657–2223430, ई–मेल – cf-jamshedpur@gov.in

जहां है हरियाली । वहां है खुशहाली ॥

पत्रांक : E-03/2018- दिनांक :

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर।

विषय :– धालभूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 960 दिनांक 16.09.2022 एवं पत्रांक 439 दिनांक 24.04.2023
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर का ज्ञापांक 1819 दिनांक 22.09.2022 एवं पत्रांक 2139 दिनांक 18.11.2022 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का ज्ञापांक 169 दिनांक 25.01.2023
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर का पत्रांक 1139 दिनांक 25.05.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा विषयान्तर्गत प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र० सं०	विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
3.	मूल प्रस्ताव के साथ कुल 106.00 हे० का KML Files समर्पित है, जबकि 99.256 हे० वन भूमि एवं 0.729 हे० गैर वनभूमि का कुल 99.985 हे० भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है। अतएव वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का अलग–अलग KML Files प्रस्तावित रकवा के आधार पर Online तथा CD के रूप में समर्पित किया जाय।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा त्रुटियों का निराकरण कर KML File CD में समर्पित किया गया है। अनु०.–1
4.	मूल प्रस्ताव के साथ समर्पित Cost Benefit Analysis में प्रस्तावित वनभूमि का रकवा 97.166 हे० दर्शाया गया है एवं उसी रकवा के आधार पर Report में Calculations की गई है। इसमें सुधार अपेक्षित है, क्योंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का रकवा 99.256 हे० है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV revised rates दिनांक 06.01.2022 से प्रभावी है। अतएव Cost Benefit analysis में NPV दर के आधार पर की गई गणना को संशोधित किया जाना अनिवार्य है। वर्णित दोनों बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संशोधित Cost Benefit Analysis Report समर्पित किया जाय।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की गणना के आलोक में संशोधित लागत–लाभ विशलेषण समर्पित किया गया है। अनु०–2
5.	प्रस्ताव से संबंधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि FRA

		प्रमाण–पत्र हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही प्रगति पर है। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से FRA प्रमाण–पत्र प्राप्त होते ही समर्पित कर दिया जाएगा। अनु०–3

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर से प्राप्त लम्बित पृच्छाओं एवं आपत्तियों के अनुपालन के क्रम में बिन्दु संख्या (3 एवं 4) का निराकरण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी सात–सात प्रतियों में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0 : यथोक्त।

आपका विश्वासी

ह0/–
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर

ज्ञापांक :– 547 दिनांक :– 26-05-2023

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर के पत्रांक 1139 दिनांक 25.05.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2023
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर

o/c

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर–831001)

दूरभाष संख्या– 0657–2231017, फैक्स–0657–2231017, ई–मेल– dfo-jamshedpur@gov.in

पत्रांक 1139 /जमशेदपुर   दिनांक 25/05/2023

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
जमशेदपुर।

(मुहर: वन संरक्षक, पत्रांक 1654, दिनांक 26-05-2023, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर)

विषय :– धालभूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 960 दिनांक 16.09.2022 एवं पत्रांक 439 दिनांक 24.04.2023
2. क्षेत्रीय मुख्य वन सरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर का ज्ञपांक 1819 दिनांक 22.09.2022 एवं पत्रांक 2139 दिनांक 18.11.2022 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का ज्ञापांक 169 दिनांक 25.01.2023
3. विमानपत्तन निदेशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, राँची का पत्रांक 23 दिनांक 06.02.2023 एवं पत्रांक 1376–78 दिनांक 22.05.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

क्र० सं०	विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
3.	मूल प्रस्ताव के साथ कुल 106.00 हे० का KML Files समर्पित है, जबकि 99.256 हे० वन भूमि एवं 0.729 हे० गैर वनभूमि का कुल 99.985 हे० भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है। अतएव वनभूमि एवं गैर वनभूमि का अलग–अलग KML Files प्रस्तावित रकवा के आधार पर Online तथा CD के रूप में समर्पित किया जाय।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा त्रुटियों का निराकरण कर KML File CD में समर्पित किया गया है। अनु०–1
4.	मूल प्रस्ताव के साथ समर्पित Cost Benefit Analysis में प्रस्तावित वनभूमि का रकवा 97.166 हे० दर्शाया गया है एवं उसी रकवा के आधार पर Report में Calculations की गई है। इसमें सुधार अपेक्षित है, क्योंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का रकवा 99.256 हे० है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV revised rates दिनांक 06.01.2022 से प्रभावी है। अतएव Cost Benefit analysis में NPV दर के आधार पर की गई गणना को संशोधित किया जाना अनिवार्य है। वर्णित दोनों बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संशोधित Cost Benefit Analysis Report समर्पित किया जाय।	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा NPV की गणना के आलोक में संशोधित लागत–लाभ विशलेषण समर्पित किया गया है। अनु०–2

	प्रस्ताव से संबंधित वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि FRA प्रमाण–पत्र हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही प्रगति पर है। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से FRA प्रमाण–पत्र प्राप्त होते ही समर्पित कर दिया जाएगा। अनु०–3

अतः लंबित पृच्छाओं एवं आपत्तियों के अनुपालन के क्रम में बिन्दु संख्या (3 एवं 4) का निराकरण प्रतिवेदन हार्डकॉपी आठ–आठ प्रतियों में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

विश्वासभजन,

अनु०–यथोक्त।

25/05/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

भाविप्रा/रांची/धालभूमगढ़/2023/1376-78 दिनांक: 22.05.23

सेवा में,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर –

विषयः– धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में
प्रसंग :. 1. पत्रांक 295/जमशेदपुर, दिनांक 11.02.2023, कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के साथ संयुक्त बैठक दिनांक 08.05.2023 के संदर्भ में उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में दिशा निर्देश के अनुसार धालभूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास हेतु 99.256 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में बतायी गयी त्रुटियों में अपेक्षित सुधार कर पुनः समर्पित की जा रही है।

त्रुटियों, निर्देश एवं अनुपालन प्रतिवेदन निम्नलिखित है।

क्र०सं०	पाई गई त्रुटियां	अनुपालन प्रतिवेदन
3.	आपके द्वारा समर्पित KML Files में त्रुटियां परिलक्षित हुई है जो निम्नवत् है :– गैर वनभूमि समर्पित KML Files का रकवा हे० में: 0.709 वास्तविक रकवा हे० में: 0.729 भिन्नता हे० में: 0.020 वनभूमि समर्पित KML Files का रकवा हे० में: 53.847 वास्तविक रकवा: 53.853 भिन्नता हे० में: 0.006	निर्देशनुसार त्रुटियां का निराकरण कर KML CD में समर्पित की जा रही है।
4.	प्रस्तावित वन भूमि का घनत्व 0.71 है। भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV Revised rates दिनांक 06.01.2022 के दिशानिर्देश के आलोक में 1357110/– दर प्रति हेक्टयर के आलोक में NPV राशि की गणना की जानी है। जबकि आपके द्वारा 1228590/– दर प्रति हेक्टर के आलोक में गणना कर लागत–लाभ प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जो कि त्रुटी पूर्ण है।	प्राप्त निर्देश के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV Revised rates दिनांक 06.01.2022 के दिशानिर्देश के आलोक में 1357110/– दर प्रति हेक्टयर के आलोक में Cost Benefit Analysis संशोधित कर पुनः नौ प्रतियों में समर्पित की जा रही है।
5.	आपके द्वारा अब तक प्रस्ताव से संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति समर्पित नहीं किया है।	प्रस्ताव से संबंधित FRA प्रमाण हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही प्रगति पर है। कार्यालय उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से FRA प्रमाण पत्र निर्गत होते ही, प्रायेजन हेतु प्रमाण पत्र समर्पित कर दी जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करें।

सधन्यवाद,

भवदीय

22/05/23
(के. एल. अग्रवाल)
विमानपत्तन निदेशक,

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी
संख्या 2048
दिनांक 23-05-2023
जमशेदपुर

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नागर विमानन विभाग, झारखण्ड सरकार

COST BENEFIT ANALYSIS

[Ref: MoEF guideline No. FNO.5-3/2011-FC(Vol-I)]

PROJECT: Development of Dhalbhum Airport

Total Forest Area:-99.256 ha

Table –A: - Case under which a cost – benefit analysis for forest diversion are required

No.	Nature of Proposal	Applicable/ NOT applicable	Remarks
1	All Categories of proposal involving Forest land up to 20 hectares in plain and up to 5 hectares in hills	Not Applicable	
2	Proposal for defence installation purpose and oil prospecting (prospecting only)	Not Applicable	
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodge complex and other building construction.	Not Applicable	
4	All other proposals involving forest land more then 20 hectare in plains and more then 5 hectares in hills including roads, Transmission line, minor, medium and major irrigation project, hydro project, mining captivity, railway lines, location specific installation like micro wave station, auto repeater centre, TV tower etc.	Applicable	There are cases where a cost benefit analysis is necessary to determined when diverging the forest land to non-forest land user in the overall public interest.

22/05/23

के.एल.अग्रवाल/K.L.Aggarwal
विमानपत्तन निदेशक/Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची/Birsa Munda Airport, Ranchi

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

Table- B:-Estimation of cost of forest diversion

SN	Parameters	Remarks	Monetary Equivalent
1	Ecosystem service losses due to proposal forest diversion	Economic value of loss of ecosystem service due to diversion of forest shall be the net present value (NVP) of the forest being diverted as prescribed by the Central Government (MoEF& CC.) Note: In case of National parks the NVP shall be ten (10) times the normal NVP or otherwise prescribe NVP by the ministry or any other competent authority	Considering the Net present value of forest area to be diverted be 13.57110 Lakh per Ha as per very dense forest in Eco class III Hence losses to Eco system in Rupees: 99.256 X 13.57110 lakh)=Rs.1347.013 lakh
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder	To be quantified and expressed in monetary terms or 10% of NVP applicable whichever is maximum	Rs. 134.701 Lakh
3	Cost human resettlement	To be quantified and expressed in monetary terms as per approved R& R plan	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Road, Building, School, dispensaries, electric lines railways, etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to thee project	To be quantified and expressed in monetary terms on actual cost basis at the time of diversion	NIL
5	Possession value of forest land diverted	30% of environmental cost (NVP) due to loss of forests or circle rate of adjoining area in the district should be added area a cost component as possession value of forest land whichever maximum	The possession value of forest land diverted is calculated as Rs. 404.103 lakh (30% of NPV)

के.एल.अग्रवाल/K.L.Aggarwal
विमानपत्तन निदेशक/Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची/Birsa Munda Airport, Ranchi

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

6	Cost of suffering to oustees	The social cost of rehabilitation of oustees (in addition to the cost likely to be incurred in providing residence, occupation and social services as per R&R plan) be worked out as 1.5 times of what oustees should have earned in two years had he not been shifted.	Not application for this project since is no resettlement involved.
7	Habitat Fragmentation cost	While the relationship fragmentation and forest goods and services is complex for the sake of simplicity the cost due to fragmentation has been pegged at 50% of NVP applicable as a thumb rule.	50 % of NPV: 13.57110 lakh X 99.256 ha X 50%= 673.507 lakh
8	Compensatory afforestation and soil and moisture conservation cost	The actual cost of compensatory afforestation and soil moisture conservation and its maintenance in future at present discounted value	Cost of CA considered as 4 lakh per ha including soil & moisture conservation work. Total CA Cost = 99.256 ha *4=397.024 Lakh
	Total		(1347.013+134.701 +404.103 +673.507 +397.024) = Rs.2956.348 Lakh

22/05/23
के.एल.अग्रवाल/K.L.Aggarwal
विमानपत्तन निदेशक/Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
बिरसा मुंडा विमानपत्तन, राँची/Birsa Munda Airport, Ranchi

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

Table –C-Existing guideline for estimation benefit of forest-diversion in CBA

Sr No.	Parameters	Remarks	Monetary equivalent
1.	Increase productively attribution to the specific project	To be quantified & expressed in monetary terms avoiding double counting	Development of airport can make a big difference in society. It boosts socio economic growth, Business, industry health, education and overall economy of state. The lump sum monetary equivalent of above benefits considered as 200 lakh.
2.	Benefits to economy due to the specific project	The incremental economic benefit in monetary terms due to the specific project	The monetary returns of the specific project is calculate as below: 1. Traffic Flow: around 52000 passenger travel in a year Therefore, Rs. 5'000 per passenger =52000 X 5000=Rs.26'00 lakh Therefore revenue in 99 years 2600 lakh X 99= 257400 lakh 2. AAI gets fee from airlines lump sum Rs. 12 lakh (Appox.)/year. Therefore, for 99 years it will be 99 X 12 =1188 lakh.
3.	No. of population benefited due to specific project	As per the Detailed project report	Population of whole East Singhbhum, West Singhbhum, Saraikela part West Bengal, Odisha will benefitted by this project. It helps greatly to improve socio economy development of the area. The Lump Sum Monetary equivalent of the benefit is considered as: Rs.50.0 Lakh
4.	Economic benefits due to direct and indirect employment due to the project	As per the Detail project report	A. Minimum 250 temporary labour engaged during the construction of airport for approx. 300 days. Mendays (approx.)=250 X 300 X 300 =225 Lakh B. Indirect employee =20X25X12X12000= Rs.720 lakh C. Permanent Employee =50 for entire period. Therefore 50*40000*12*99year =Rs.23760.00 Lakh

22/01/23
के.एल.अग्रवाल/K.L.Aggarwal
विमानपत्तन निदेशक/Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची/Birsa Munda Airport, Ranchi

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

5.	Economic benefits due to Compensatory afforestation	Benefits from such compensatory forestation accruing over next 50 years monetized and discounted to the present value should be included as benefit of compensatory afforestation *For benefit of CA the guideline of the ministry for NVP estimation may be consulted	Benefit from such compensatory forestation accruing over next 50 year is huge and monetary equivalent is considered as Rs. 100 lakhs.
Total benefits of the project (monetary equivalent)			(200+257400+1188+50+225+720+23760 + 100) = Rs. 283643 Lakh

Total environmental loss = Rs. 2956.348 Lakh
Total benefit to society = Rs.283643/- Lakh
(Value for 99 year =Rs. 283643/- Lakh)

Cost Benefit Ratio(CBA Ratio) = BENEFIT/ COST

CBA RATION = 1:95.94

22/01/23
Airport Director
Birsa Munda Airport
Ranchi, Jharkhand

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

के.एल.अग्रवाल/K.L.Aggarwal
विमानपत्तन निदेशक/Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची/Birsa Munda Airport, Ranchi